7

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

Bihar Administrative Service Association

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800001

(पंजीयन संख्या–633 / 2003)

Website : basabihar.in, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
* सुशील कुमार
मो0–9431091417, 7004466338
Email: shushilkumar09@gmail.com

सचिव,
* खुर्शीद अनवर सिद्दिकी
मो0–9771048046
Email: siddiquikhursheed1@gmail.com

उपाध्यक्ष * किशोरी पासवान
* कमलेश सिंह
संयुक्त सचिव * अतुल कुमार वर्मा
* कुमार रविन्द्र
कोषाध्यक्ष * मिथिलेश कुमार साह
सयुक्त कोषाध्यक्ष * मृणायक दास

पत्रांक........ 33

दिनांक 20/X/19

संघ भवन व अन्य प्रतिवेदन

आदरणीय,

श्री चंचल कुमार, भा0प्र0से0,
माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव–सह–
प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग,
बिहार सरकार।

आज दिनांक–~~20.03.2016~~ 20-10-2019 को संघ भवन का उद्घाटन भवदीय के कर कमलों द्वारा होने पर हम संघ परिवार अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। संघ भवन के संदर्भ में जानकारी देना चाहूँगा :–

1. संघ भवन हेतु वर्ष 1976 में 0.31 एकड़ जमीन 30 वर्ष की लीज पर सरकार के द्वारा संघ को दिया गया जिस पर पुराना भवन निर्मित कर संघ का कार्य किया जाता रहा है। नये भवन का शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी द्वारा दिनांक–15.08.2000 को किया गया था। कतिपय कारण से पी.आर.डी.ए. के आपत्ति के कारण दिनांक–19.02.2002 से निर्माण रूक गया। दिनांक–04.05.2011 को संघ द्वारा पटना नगर निगम से अनुरोध किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय का कोई आदेश हो तो अनुपालन करने का निदेश देते हुए निर्माण कार्य प्रारंभ करने की अनुमति दी जाए अन्यथा नापी कराकर यथोचित निदेश दी जाय ताकि निर्माण कार्य प्रारंभ की जा सके। पटना नगर निगम द्वारा नापी के बाद भवन का कुछ हिस्सा छोड़ने का निदेश प्राप्त हुआ।

तदोपरान्त उस भाग को छोड़ते हुए फिर से नक्शा दिनांक–10.04.2012 को पारित कराया गया। इस शर्त के साथ कि निर्माण कार्य से पूर्व लीज एकरारनामा कर ली जाय।

2. लीज नवीनीकरण की अनुमति राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा दिनांक–18.01.2008 को प्राप्त हुई तथा लीज नवीनीकरण की सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई लीज नीति निर्धारण के हवाला देकर लीज का नवीनीकरण दिनांक–02.12.2008 द्वारा स्थगित रखा गया। लीज नवीनीकरण नीति, 2011 पारित होने के उपरान्त लीज नवीनीकरण हेतु जिला पदाधिकारी, पटना से दिनांक–29.09.2012 को अनुरोध किया गया। जिला पदाधिकारी, पटना के आदेश होने पर दिनांक–18.02.2013 को लीज नवीनीकरण की स्वीकृति प्राप्त हुई।

3. दिनांक–19.05.2013 को नये भवन का निर्माण कार्य श्री दामोदर रावत, तत्कालीन माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग के कर कमलों द्वारा प्रारंभ किया गया।

4. नया भवन इस प्रकार है :–

ग्राउण्ड फ्लोर

70'x39'	हॉल
21'x11'10''	एक कमरा
10'x10'	एक कमरा

प्रथम फ्लोर

13'x10'3''	एक कमरा
13'x10'2''	एक कमरा
13'x10'4''	एक कमरा
13'x10'3''	तीन कमरा

ग्राउण्ड फ्लोर हॉल एवं प्रथम तल का कमरा का निर्माण सम्पन्न होने के उपरान्त इसका उद्घाटन दिनांक–22.05.2016 को तत्कालीन माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव के द्वारा किया गया।

5. ग्राउण्ड फ्लोर/प्रथम तल उद्घाटन के बाद द्वितीय तल भवन का निर्माण प्रारम्भ किया गया, जिसका उद्घाटन आज दिनांक–20.10.2019 को भवदीय के कर कमलों से किया गया। द्वितीय तल में छः कमरा सहित हॉल निर्मित है, जो इस प्रकार है :–

70'x35'	हॉल
13'x10'3''	एक कमरा
13'x10'4''	दो कमरा
10'x10'8''	एक कमरा
10'x10'3''	दो कमरा

6. संघ भवन का निर्माण संघ के सदस्यों से प्राप्त सहयोग राशि से किया गया है। जिसमें संघ का कार्यालय कार्य, सदस्यों के परिवार का पारिवारिक समारोह एवं पटना मुख्यालय से अन्यत्र जिलों से आये पदाधिकारी के आवासन के लिए उपयोग किया जा रहा है। द्वितीय तल का उद्घाटन होने के उपरान्त पूरे भवन की उपयोगिता संघ के सदस्य एवं उनके परिवार के लिए और भी उपयोगी हो जायेगी। इसमें खेलकूद, मनोरंजन हेतु क्लब, स्वास्थ्य हेतु जिम की व्यवस्था की जायेगी।

7. यह एक संयोग एवं हर्ष की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव–सह–प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग के द्वारा संघ भवन द्वितीय तल का उद्घाटन किया गया।

8. इसके पूर्व दिनांक–10.03.2013 को भवदीय द्वारा बिहार प्रशासनिक संघ द्वारा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया था जिसमें मेदान्ता दिल्ली के डॉ0 रजनीश कपूर एवं उनके टीम के द्वारा स्वास्थ्य जांच किया गया था। संघ को अपार खुशी हुई कि इस शिविर का उद्घाटन भी भवदीय के कर कमलों द्वारा किया गया था। इसी मौके पर डॉ0 रजनीश कपूर द्वारा संघ के सदस्यों एवं उनके परिवार को मेदान्ता दिल्ली में ईलाज कराने पर 10 प्रतिशत रियायत देने की सहमति दी गयी थी।

9. माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के सहयोग से संघ बराबर लाभान्वित होता रहा है, जिसके कई उदाहरण हैं :–

(i) वर्ष 2010 में बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग पुनर्गठन।

(ii) सेवा संवर्ग पुनर्गठन के उपरान्त Stagnation को दूर करने हेतु कालब्धि क्षांत करना।

(iii) गोपनीय अभ्युक्ति के प्रावधानों में त्रुटि के कारण प्रोन्नति/वित्तीय उन्नयन से वंचित होने को रोकने के लिए विशेष चारित्री अभिलेखन व्यवस्था।

(iv) (a) दिनांक–01.01.2006 के बाद एवं पुनः 01.01.2009 के बाद नियुक्त बि0प्र0से0 के पदाधिकारी को Schedule II के अनुरूप वेतन का निर्धारण (प्रभावित बैच 47, 48–52वीं)

(वित्त विभाग का पत्रांक–1336, दिनांक–11.02.2013)

(b) दिनांक–01.01.06 से पूर्व नियुक्त पदाधिकारी को Step up देने का प्रावधान (प्रभावित बैच 43, 44, 45) (वित्त विभाग का पत्रांक–2424, दिनांक–11.03.2013)

(c) द्वितीय MACP 22 वर्ष की जगह 20 वर्ष पर।

(वित्त विभाग का पत्रांक–5152, दिनांक–21.05.2013)

10. इस उपलक्ष्य पर संघ आपसे कोई मांग नहीं करना चाहता है, लेकिन कुछ वास्तविकता भवदीय के संज्ञान में लाना चाहता है :–

(i) पहला :–प्रोन्नति समिति पर रोक के संबंध में।

(a) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र ज्ञापांक–5066, दिनांक–11.04.2019 द्वारा एम0जे0सी0 सं0–2847/2018, एम0जे0सी0 सं0–2696/2018 एवं सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–14907/2018 में दिनांक–01.04.2019 को पारित आदेश के आलोक में राज्य सरकार की सभी सेवाओं एवं पदों पर दी जाने वाली सभी प्रोन्नतियाँ एवं प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की कार्रवाई अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई। जबकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक–01.04.2019 में प्रोन्नति पर कोई रोक नहीं लगायी गयी है वशर्ते आदेश है कि **"The state of bihar if it desires to proceed with any further promotion, it will have to seek prior orders either from the Apex Court or seek leave of this court."**

(b) दिनांक–11.04.2019 को प्रोन्नति पर रोक के उपरान्त पुनः पदाधिकारी बगैर प्रोन्नति पाए सेवा निवृत हो रहे हैं, जिन्हें प्रोन्नति के साथ–साथ वित्तीय नुकसान भी हो रहा है। साथ ही प्रोन्नति नहीं होने से पदाधिकारियों का मनोबल गिरता जा रहा है।

(c) हम सभी को यह जानकर खुशी होती है कि राज्य में पदास्थापित भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों का प्रोन्नति होता है, परन्तु हम बिहारवासियों राज्य प्रशासनिक सेवा के साथ–साथ अन्य सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों का प्रोन्नति अपने ही राज्य में प्रोन्नती नहीं होने से दुःख होता है।

(d) वर्ष 2014 में भी सामान्य प्रशासन के पत्रांक–11218, दिनांक–12.08.2014 प्रोन्नति समिति की बैठक पर रोक लगा दी गई थी जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोई रोक नहीं लगायी गयी थी। जिसे सामान्य प्रशासन द्वारा 1 वर्ष 8 माह बाद बगैर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पत्रांक–4800, दिनांक–01.04.2016 द्वारा प्रोन्नति की गई।

(e) बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के पत्रांक–14, दिनांक–27.07.2019 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को इसका समाधान कराने का अनुरोध किया गया। पुनः बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के साथ–साथ बिहार पुलिस सेवा, बिहार अभियंत्रण सेवा, बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ, बिहार पुलिस एसोसियेसन, बिहार सचिवालय सेवा संघ द्वारा सम्मिलित रूप से माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया गया।

संघ को हर्ष है कि माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के आलोक में माननीय उच्चतम न्यायालय में बिहार सरकार की ओर से IA दाखिल की गई है। संघ का अनुरोध है कि प्रोन्नति समिति की बैठक पर रोक समाप्त कराने की दिशा में तीव्रता से प्रयास कराने हेतु माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया जाय।

(ii) दूसरा :–संघ एवं सरकार के बीच दिनांक–29.03.97 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी के समक्ष यह समझौता हुआ था कि "जिला पदाधिकारी के पांच पदों को आई0ए0एस0 के अतिरिक्त बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों से भरा जायेगा।" लेकिन उक्त समझौता का अनुपालन अब तक नहीं हो सका है। अन्य राज्यों यथा –असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मिजोरम, राजस्थान, जम्मू–कश्मीर एवं उत्तर प्रदेश में वहां के राज्य सेवाओं के पदाधिकारियों का पदस्थापन जिला पदाधिकारी के रूप में किया जाता है।

बिहार प्रशासनिक सेवा के संयुक्त सचिव/अपर सचिव/विशेष सचिव स्तर के पदाधिकारियों के लिए पांच पद जिला पदाधिकारी के रूप में पदस्थापन का प्रावधान कराने में संघ आपसे सहयोग की अपेक्षा रखता है।

(iii) संघ भवदीय से अनुरोध करता है कि संघ के सभी पदस्थापित सदस्यों के लिए आवासन एवं वाहन की व्यवस्था सरकार द्वारा सुनिश्चित कराने में संघ को सहयोग प्रदान की जाय।

(iv) पिछले दिनों राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग के संकल्प ज्ञापांक–414021, दिनांक–26.02.2019 द्वारा बिहार ग्रामीण सेवा के अन्तर्गत ग्रामीण विकास पदाधिकारी/सहायक परियोजना पदाधिकारी से प्रथम पदोन्नति स्तर पर ग्रामीण विकास पदाधिकारी/कार्यपालक दंडाधिकारी के पद के वेतनमान को लेवल–8 से लेवल–9 कर दिया गया है, जो कि प्रखण्ड स्तर के अधिकारी हैं।

दूसरी तरफ वरीय उप समाहर्त्ता/अनुमण्डल पदाधिकारी के पद का भी वेतनमान लेवल–9 में ही है, जो कि अनुमण्डल स्तर के अधिकारी हैं।

उपरोक्त के आलोक में संघ भवदीय से अपेक्षा करता है कि बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के साथ–साथ अन्य सेवा संवर्ग यथा बिहार पुलिस सेवा, बिहार वित्त सेवा इत्यादि के लिए सातवें वेतनमान प्रक्रम पर पुनर्विचार करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया जाय।

(खुर्शीद अनवर सिद्दिकी)
महासचिव

(सुशील कुमार)
अध्यक्ष